न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं०–6/ विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट), लखीमपुर–खीरी।

उपस्थित: अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–83/2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–2704/2026

CNR UPLP01–005760–2026

मुनीर उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्र स्व० अलियार खां निवासी ग्राम सढ़ौना थाना खीरी, जिला लखीमपुर खीरी, हला पता मो० श्यामलाल पुरवा कस्बा खीरी, थाना खीरी, जिला लखीमपुर खीरी।

---- अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य ----- अभियोगी।

मु०अ०सं०–451/2026
अं०धारा–2(b)(17)/3 उ०प्र०गिरोहबंद एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम 1986
थाना–खीरी, जनपद–लखीमपुर खीरी।

दिनांक 20–07–2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त मुनीर की ओर से म०अ०सं०–451/2026 अं–०धारा–2(b)(17)/3 उ०प्र०गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना–पढुआ, जनपद–खीरी के मामले में प्रस्तुत किया गाया हैं। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र संलग्न है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी सत्र न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/ अभियुक्त पर लगाये गये आरोप निराधार, असत्य एवं बनावटी हैं, जिसमें सत्यता बिल्कुल नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्य पूर्णतया बनावटी प्रतीत होते हैं। गैंग चार्ट में दिखाया गया मुकदमा, मु0अ0सं0–436/2025 अन्तर्गत धारा 11 (1) पशु क्रूरता अधिनियम में प्रार्थी नामजद अभियुक्त नही है, उसमें थाना खीरी की पुलिस द्वारा काफी विलम्ब के बाद साजिशन उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गयी थी, अवलोकनार्थ आदेश की प्रति दाखिल की जा रही है। इस मुकदमें के अलावा प्रार्थी पर किसी भी थाने से कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ और न ही प्रार्थी कभी जेल गया। प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 (अधिनियम सं0–45 सन् 1860) के अध्याय 16 या अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन कभी कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया। प्रार्थी के विरूद्ध लगाई गई उपरोक्त धाराओं का अपराध नहीं बनता है। दिनांक 14/15.07.2026 को रात 1:30 बजे प्रार्थी के घर में थाना खीरी की पुलिस के लोग जबरदस्ती घुस आये और भद्दी–भद्दी गालियां देते हुये प्रार्थी/ अभियुक्त को जबरदस्ती अपने साथ ले आये। इस सम्बन्ध में प्रार्थी के घर वालों द्वारा दिनांक 25.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय, लखीमपुर खीरी तथा अन्य उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया था तथा उसकी मोबाइल से फोटोग्राफी भी की गयी थी। प्रार्थी/ अभियुक्त सीधा–सादा शान्तिप्रिय व्यक्ति है, जिसका कोई अपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/ अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है। जमानत पर छूटने के पश्चात मिली जमानत की सुविधाओं का दुरूपयोग

नहीं करेगा। अतः दौरान मुकदमा प्रार्थी/ अभियुक्त को उचित जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजन (गैंगेस्टर एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 14.07.2026 को प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह मय हमराह रि०आ० भूपेन्द्र सिह मय एक जरब एके–47 मय 30 कारतूस, रि०म०आ० नैन्सी कटियार मय वाहन सरकारी UP 61 G 0473 वतौर वैकल्पिक चालक हे0का0 सन्तोष कुमार के रवानाशुदा रो०आम तारीखी इमरोजा से बाद देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, पैन्डिंग विवेचना, जाँच अहकामात, देखभाल क्षेत्र शान्ति व्यवस्था ड्यूटी, वीवीआईपी कार्यक्रम ग्राम गुलरीपुरवा मन्दिर, पैदल गश्त व अन्य कार्य सरकार में मामूर था कि ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण मुनीर, नफीस, चाँद बाबू, जियाउद्दीन का एक संगठित गिरोह है, इनका गैंग लीडर मुनीर है। इस गैंग का गैंग लीडर मुनीर उपरोक्त स्वंय व अपने गैंग के सदस्यों नफीस, चाँद बाबू, जियाउद्दीन उपरोक्त के साथ मिलकर थाना क्षेत्र में गौवंशीय पशुओं का वध कर मांस बेचकर भौतिक आर्थिक एंव दुनियावी लाभ अर्जित करने व अपराध कारित करने हेतु अपराध कारित करते हैं, इनका एक जनपदीय गिरोह है। इस गिरोह का समाज में इतना भय व आतंक व्याप्त है। इनके विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति सूचना देने व गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इस गैंग लीडर व इसके गैंग के सदस्यो के क्रिया कलापों पर अंकुश लगाने हेतु इनके विरूद्ध धारा(2) बी (17)/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। अभियुक्तगण उपरोक्त का धारा (2) बी (17)/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत गैंग चार्ट तैयार कर अफसरान बाला श्रीमान जिलाधिकारी महोदय खीरी,श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी से अनुमोदन लेने के उपरान्त बाला बाला गैंग चार्ट अनुमोदित शुदा थाना हाजा पर लाकर दाखिल किया।

प्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजन (गैंगेस्टर एक्ट) के तर्कों को सुना तथा सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–19(4) में यह प्रावधान किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी उस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को यदि व अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बन्ध पत्र पर तब तक छोड़ा नहीं जायेगा, जब तक कि–

(क) लोक अभियोजन को ऐसे छोड़े जाने की आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता है।

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का समाधान न हो जाए कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत जमानत की शर्त है कि ऐसे आधार हो कि जिसके द्वारा प्रथमतः यह विश्वास किया जा सके कि अभियुक्त ने उस प्रकार का अपराध कारित नहीं किया है तथा दूसरा यह कि यदि वह जमानत पर छोड़ा जाए तो ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि वह पुनः अपराध कारित करेगा।

प्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का उल्लेख करते हुए प्रार्थी/ अभियुक्त को झूठा फंसाया जाना कहा गया है। अभियोजन का कहना है कि प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित किया गया है, वह गैंग का सक्रिय सदस्य है तथा अपने गैंग के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु गोवध सम्बन्धी अपराध कारित करता हैं। अभियोजन प्रपत्रों व केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/ अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। अभियोजन कथानक तथा गैंगचार्ट के अनुसार, प्रार्थी/ अभियुक्त मुनीर सुसंगठित गिरोह का गैंगलीडर है। अभियोजन कथानक व गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त

मुनीर के विरूद्ध मु०अ०सं०–436/2025, धारा–3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना खीरी, जनपद खीरी का मामला पंजीकृत है तथा अभियोजन के कथनानुसार ऐसे मामले में आरोप पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/ अभियुक्त का उक्त के अतिरिक्त दो आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का व समाज विरोधी है।

अतएव उपरोक्त प्रावधानों तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त वर्णित आधार इस मामले में दर्शित नहीं होते है। प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त करने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मुनीर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। कार्यालय जमानत आदेश की एक प्रति अभियुक्त या उनके विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क प्रदान करें।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–6,
लखीमपुर–खीरी।
JO CODE–UP1561

दिनांक: 20.07.2026

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.20 17:09:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court